



स्वायत्त उपखण्ड अधिकारी पदम सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चितौड़गढ़ (पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - चितौड़गढ़)

धारा अन्तर्गत - 136 प्र.सं. 486 दायर दिनांक 21/10/2025 निर्णय दिनांक 21/10/25

क्र.म.	नाम- ग्राम	स्थान	रिपोर्ट	कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	लाखा का खेड़ा	५४	<p>महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक बैंक आदेश क्रमांक / 2025-26 / 113 दिनांक 26.09.2023 एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।</p> <p>यत्मान प्रतिवदी नारायण लाल पुत्र डाक्टर लाल जाल खा. देह रखन बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक Phumana</p> <p>शुद्ध प्रतिवदी नारायण लाल पुत्र डाक्टर लाल जाल खा. देह रखन राजस्थान ग्रामीण बैंक झाबा Phumana 21/10/25 तहसीलदार कपासन जिला-चितौड़गढ़ (राज.)</p>	<p>तहसीलदार कपासन की जाकर राज. भू. रा. अधि. 1956 की धारा 136 के अधधीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <b>लाखा का खेड़ा</b> प.ह. <b>नुरविद्या खुर्द</b> खातासं. <b>५६</b> में वर्तमान प्रतिष्ठ बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रेकार्ड में किया जाकर दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p>

31/10/25  
हरिदास शिविर

हरिदास शिविर

हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार

पदेन सहायक कलक्टर कपासन

सहायक कलक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
कपासन जिला-चितौड़गढ़